पत्र सं०–6 एस०एस०(6)08/2025–2618/

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–13/06/2025.

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– ****आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹ 860.96 लाख (रुपये आठ करोड़ साठ लाख छियानवे हजार) मात्र की लागत व्यय पर राज्य स्कीम के तहत कॉम्फेड, पटना अन्तर्गत कोसी दुग्ध संघ सुपौल अन्तर्गत मधेपुरा में 50 KLPD क्षमता के दुग्ध शीतलीकरण केन्द्र की स्थापना हेतु पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा शत–प्रतिशत अनुदान पर स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹ 860.96 लाख (रुपये आठ करोड़ साठ लाख छियानवे हजार) मात्र की लागत व्यय पर राज्य स्कीम के तहत कॉम्फेड, पटना अन्तर्गत कोसी दुग्ध संघ सुपौल अन्तर्गत मधेपुरा में 50 KLPD क्षमता के दुग्ध शीतलीकरण केन्द्र की स्थापना हेतु पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा शत–प्रतिशत अनुदान पर स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2 इस योजना का मुख्य उद्देश्य कच्चे दूध की गुणवत्ता को संरक्षित बनाये रखना है तथा मधेपुरा जिले के अन्य गाँवों के किसानों का आर्थिक क्षति को कम करना तथा उनके स्वरोजगार का अवसर प्राप्त होगा।

3. योजना उद्व्यय प्राप्त कर बजट के अधीन कार्यान्वयन किया जायेगा। मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 –डेरी विकास परियोजनाएँ, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0115 –गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, विपत्र कोड 02–2404001020115, विषय शीर्ष–3105 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण।

4. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र

राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

5. दिनांक–28.05.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका 6 एस०एस०(6)08/2025 के पृष्ठ– 34–33/प०.

6. चुँकि यह योजना एक नई योजना है। योजना का लागत मूल्य रुपये 5.00 करोड़ से अधिक एवं 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–2(क) में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)08/2025 के पृष्ठ–09/टि० दिनांक–10.06.2025.

7. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०–6 एस०एस०(6)08/2025 के पृष्ठ–08/टि० तथा डायरी सं०–275, दिनांक–30.05.2025.

8. वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,
(गीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)08/2025–2618 /पटना–15, दिनांक–13/06/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)08/2025–2618 /पटना–15, दिनांक–13/06/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय-कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)08/2025– 2618 /पटना–15, दिनांक–13/06/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना/निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)08/2025– 2618 /पटना–15, दिनांक–...13/.06/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/6/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)08/2025– 2618 /पटना–15, दिनांक–....13/.06/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

12/6/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)08/2025– 2618 /पटना–15, दिनांक–..13../..06/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा/परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

12/6/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)08/2025– 2618 /पटना–15, दिनांक–..13../06../2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ प्रेषित।

12/6/25

सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी

राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कोसी दुग्ध संघ, सुपौल अन्तर्गत मधेपुरा में 50 KLPD क्षमता के दुग्ध शीतलीकरण केन्द्र के स्थापना की योजना का संभावित व्यय विवरणी :–

क्रमांक	विपत्र कोड/विषय शीर्ष	योजना का विवरणी	कुल लागत (राशि लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
1	विपत्र कोड 02–2404001020115, विषय शीर्ष–31–05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण	Civil Work	433.46	निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
2		Electromechanical Work	427.50		
		कुल योग :–	860.96		

(रुपये आठ करोड़ साठ लाख छियानवे हजार) मात्र

2618
13/6/25

13/6/25

सरकार के अपर सचिव